झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02.त0शि0योजना–09/2024 /रॉंची, दिनांक–

प्रेषक,

जॉर्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

विषयः– **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मांकी मुण्डा छात्रवृति योजना के तहत लाभार्थियों को राशि उपलब्ध कराने हेतु सहायता अनुदान के रूप में कुल रू0 5,00,00,000/– (रू0 पांच करोड़) मात्र की भुगतान हेतु आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने एवं सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़संकल्पित है। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में राज्य के छात्राओं को नामांकन के प्रति जागरूक करने, आत्म निर्भर बनाने तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने के उदेश्य से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का संकल्प, ज्ञापांक 175 दिनांक 19.02.2024 द्वारा मांकी मुण्डा छात्रवृति योजना लागू की गयी है। इस योजना के तहत झारखण्ड राज्य में अवस्थित पोलिटेकनिक तथा अभियंत्रण शिक्षण संस्थानों में नामांकित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 06/योजना दिनांक 20.06.2024 द्वारा कुल रू0 7,00,00,000/– (रू0 सात करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः वित्त विभाग का पत्रांक 257/बजट दिनांक 21.03.2024, विभागीय संकल्प ज्ञापांक 175 दिनांक 19.02.2024 तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 06/योजना दिनांक 20.06.2024 के अलोक में राज्य सरकार द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांकी मुण्डा छात्रवृति योजना के तहत राशि वितरित करने हेतु अनुमानित व्यय की राशि रू0 5,00,00,000/– (रू0 पांच करोड़) मात्र झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पक्ष में सहायक अनुदान की आवंटन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) उक्त व्यय का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–112–इंजीनियरी /तकनीकी कालेज तथा संस्थान–उप शीर्ष–AM–राज्य अन्तर्गत संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान के छात्रवृति/वजीफा ईकाई के अन्तर्गत उपबंधित राशि में से विकलनीय होगा। (विपत्र कोड–43S220300112AM010650)

   (ख) उक्त व्यय का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–AM–राज्य अन्तर्गत संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान के छात्रवृति/वजीफा ईकाई के अन्तर्गत उपबंधित राशि में से विकलनीय होगा। (विपत्र कोड–43S220300796AM010650)

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय होगें। राशि निकासी के पश्चात् निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ट्रेजरी चालान के माध्यम से एक मुश्त राशि कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के पी0एल0 खाता हेतु शीर्ष 8448 में आवश्यक औपचारिकताऍ पूरा करते हुए जमा करायेंगे।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात् ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 2 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेगें।

5. विषयांकित योजना के संबंध में विभागीय संकल्प 175 दिनांक 19.02.2024 में निहित दिशानिर्देश के आलोक में आवश्यकतानुसार कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए लाभार्थियों को राशि उपलब्ध करायेगें।

6. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पत्रांक 257/बजट दिनांक 21.03.2024 एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में प्रदान की जा रही है, अतएव राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों में दिए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने की जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगें कि इस कार्य के लिये अन्य स्त्रोतों से राशि नही प्राप्त किया गया है।
8. स्वीकृत राशि का दूसरे मदो में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
9. यह राशि State Scheme Code–2102 से संबंधित है।
10. झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के कुलपति द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम 339–344 के तहत पी0एल0 खाता के शीर्ष 8448 से आवश्यकतानुसार राशि की निकासी की जायेगी।
11. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा विश्वविद्यालय से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्ति के पश्चात निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह जबाबदेही होगी कि Online उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
12. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक– 17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
13. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से की जायगी।
14. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
15. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
16. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
17. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/–
(जॉर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0योजना–09/2024 /रॉची, दिनांक–
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–02.त0शि0योजना–09/2024/07/बजट /रॉची, दिनांक– 25.06.2024
प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड,/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची/बजट पदाधिकारी/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक, झारखण्ड/सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/लेखा शाखा/नोडल पदाधिकारी को Upload करने हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6/24
सरकार के संयुक्त सचिव

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Technical Education Division)

ालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

त्र संख्या - 2.TS/P-09/2024/07/BUDGET दिनांक - 25-Jun-2024

मांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
	S 43 220300112AM010650 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 - तकनीकी शिक्षा 112 - इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान AM - राज्य अन्तर्गत संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान 01-राज्य सरकार/केन्द्रीय/गैर सरकारी तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों को सहायता अनुदान तथा छात्रवृत्ति सहित। 06 - अनुदान **State Scheme**	36539	DRNEDN047 DR. RAJSHEKHAR PRASAD ASSTT. DIR.CUM DDO T. EDN. DIR 50 - छात्रवृत्ति / वजीफा	50,000,000.00 रुपये पॉच करोड

State Scheme : GRANT-IN-AID TO TECHNICAL/PROFESSIONAL INSTITUTES OF STATE GOVERNMENT/CENTRAL GOVERNMENT AIDED/NON-GOVERNMENT INCLUDING SCHOLARSHIP(2102)

Centeral Scheme : NO

ाग: रुपये पॉच करोड 50,000,000.00

मिक योग:

(GEORGE KUMAR)
JOINT SECRETARY

Run Date: 25/6/2024